

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 196/2021 अन्तर्गत धारा 212 RTA CI

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ बनाम गिन्नी कंवर पत्नी हनुमानसिंह
जाति राजपूत नि.खेड़ला शेष मुताबिक जमाबन्दी

| आदेश दिनांक | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 01.09.21 | <p>यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढको एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 996 किता 1 कुल रकबा 0.9450 है., वाके ग्राम पिलानी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति सुपुर्दगी स्पीड पोस्ट (SPEED POST) द्वारा करें, तथा व्यादेश के आवेदन की प्रति के साथ प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र, वाद पत्र, व दस्तावेज जिन पर आवेदक भरोसा करता है इनकी प्रति भी भेजे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30.09.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ</p> | |

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

नम्बर व तारीख
अहकाम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए ।

29-7-24

कानून 2015 पञ्जाब की मूल कानून में गैरसहमतता के
व्यतिरिक्त पञ्जाब के क्षेत्रों पर कानून के लागू
पेक्षा नहीं। मूल कानून को लागू करने के लिए
है इसलिए कानून 2015 पञ्जाब पर कानून 2015
के अन्तर्गत जो कानून को लागू करने के लिए
कानून 2015 पञ्जाब को लागू करने के लिए
पञ्जाब की मूल कानून व कानून 2015 को लागू
करने के लिए कानून 2015 को लागू करने के लिए


उपरोक्त अधिकारी, सुरजगढ़